समक्ष सदस्य मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प भोपाल (म. प्र.)

निग -1583- II-16

प्र. क्र. ------निगरानी/16

झनकसिंह पिता मुंशीलाल जाटव आयु 52 साल
निवासी ग्राम झरखेडा" दोराहा जोड
तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर -------------------निगरानीकर्ता

विरुद्ध

1/लक्ष्मण बजाज पिता आसरदास आयु 58 साल
सेकेट्री संस्था गिरधरानन्द देवाश्रम परमहसंजी
निवासी विट्ठल नगर लालघाटी भोपाल
कृषक ग्राम झरखेडा तहसील श्यामपुर जिला सीहोर
निवासी मकान नंबर 12 मुर्गा बाजार शाहजहानाबाद -भोपाल

2- गुलाबसिंह पिता मुंशीलाल जाटव आयु 56 साल
3- फूलसिंह पिता मुंशीलाल जाटव आयु 50 साल
क्र. 2 व 3 निवासी ग्राम झरखेडा" दोराहा जोड"
तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर म. प्र.।
4-मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर सीहोर ---------- रैस्पान्डेन्टस

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू. रा. सं. 1959
विरुद्ध आदेश दिनांक 22:3:2016 प्र. क्र. 2/निगरानी/2015-16
झनकसिंह विरुद्ध लक्ष्मण बजाज पारित द्वारा अतिरिक्त कलेक्टर
सीहोर जिसके द्वारा नायब तहसीलदार टप्पा दोराहा के प्र. क्र.
13/अ-27/05-06 में पारित आदेश दिनांक 22/1/16 की पुष्टि
की गई।

महोदय, :-

1- निगरानीकर्ता मा. अ. न्यायालय द्वारा पारित आदेशों से दुखी व असंतुष्ट होकर निम्नांकित तथ्यों एवं विधि आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत करता है :-

1- यहकि अधिनस्थ तहसील न्यायालय ने उनके समक्ष लंबित बटवारा प्रकरण में दिनांक 22/1/16 को आवेदक /निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 29/5/15 एंव 11/9/15 एंव 22/5/15 का निराकरण आवेदक केविरुद्ध किया है और प्रकरण पर्दे बटान बलाये जाने हेतु दिनांक 29/1/16 को नियत

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ
भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1583–दो/2016 जिला सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16–9–2016	आवेदक अधिवक्ता ने यह अतिरिक्त कलेक्टर सीहोर के प्रकरण कमांक 2/निगरानी/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 22–3–16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में उपलब्ध आदेश की प्रति एवं अन्य दस्तावेज का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि अतिरिक्त कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 22–3–16 को स्पष्ट निष्कर्ष निकाले हैं कि म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 50(1) के अधीन इस न्यायालय को किसी पक्षकार द्वारा आवेदन दिये जाने पर पुनरीक्षण की अधिकारिता नहीं है। इसी आधार पर अतिरिक्त कलेक्टर ने आवेदक की निगरानी को अस्वीकार किया है। दिनांक 30–12–11 को म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में हुये नवीन संशोधन अनुसार किसी पक्षकार द्वारा आवेदन प्रस्तुत आवेदन पर निगरानी में सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व मण्डल को प्रावधानित किया गया है। अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा पारित विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है। निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	